न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 68 / 16

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री नरेन्द्र शाह पुत्र श्री गिरधरलाल शाह उम्र 47 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म :– मैसर्स शाह फूड़ प्रोडक्ट्स 44, शान्तीप्रिया नगर, खत्री नोहरे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर। नि.– 164, बलदेव नगर, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 03.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स शाह फूड प्रोडक्टस, 44, शांतीप्रिया नगर, खत्री नोहरे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) प्लास्टिक के कट्टे में 100 पॉली पैक प्रत्येक 1 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। उक्त ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) के 4 पॉली पैक प्रत्येक 1 किलोग्राम वास्ते नमूना संख्या एडी–326 वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 200 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। खरीदसुदा ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) चारों पॉली पैक पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एडी–326 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–326 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1186 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) के चारों नमूना पॉली पैक को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–326 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एएफएस / 219 / एक्ट / 2016 / 255 दिनांक 16.03.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–326 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।
3. प्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है उससे उसने उक्त ड्राई ग्रीन मटर (सोनू) जिस पॉली पैक में खरीद उसी स्थिती में विक्रय किया करता हैं तथा खाद्य सुरक्षा के नियम की जानकारी के अभाव में उससे मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय की भूल हो गई। भविष्य में खाद्य सामग्री विक्रय के समय वह नियमों की जानकारी कर ही बेचेगा। इस प्रकार अप्रार्थी अपनी गलती स्वीकार करते हुए उस पर कम से कम जुर्माना लगाने हेतु निवेदन किया है।

4. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने अपने जवाब में अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 के दोषी पाये जाते हैं। अतः अप्रार्थी पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाये से अप्रार्थी पर शास्ती रूपये 15000/- अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17/11/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी
अतिरिक्त एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

दिनांक :- 17/11/2017

क्रमांकः– न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 2342-2345

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
03. श्री नरेन्द्र शाह पुत्र श्री गिरधरलाल शाह उम्र 47 वर्ष (एफबीओ / मालिक) फर्म :– मैसर्स शाह फूड़ प्रोडक्ट्स 44, शान्तीप्रिया नगर, खत्री नोहरे के पास, चौपासनी रोड़, जोधपुर। नि.– 164, बलदेव नगर, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर